न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14 / 2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 सूरजनराम गोपुत्र तुलसाराम कौम विश्नोई निवासी कुण्डकी		1 तुलसाराम पुत्र राजूराम
2 लालाराम पुत्र रामूराम कौम विश्नोई निवासी कुण्डकी तहसील सांचोर जिला जालोर		2 हनुमान पुत्र प्रहलाद
		3 फगलूराम पुत्र प्रहलाद
		4 भारमल पुत्र फगलू
		5 जेती पत्नी भारमल
		6 मंगला पुत्र काना
		7 शान्ती पत्नी मालाराम
		8 हनुमान पुत्र सुरेश कुमार
		9 जयकिशन पुत्र भारूराम
		10 गणोशाराम पुत्र भारूराम जातिगण विश्नोई निवासीगण कुण्डकी
		11 मनीराम पुत्र शंकरलाल कौम विश्नोई निवासी चितलवाना
		12 शारदादेवी पत्नी फूसाराम कौम विश्नोई निवासी गौडा तहसील चौहटन जिला बाडमेर
		13 उपं पंजीयक एवं तहसीलदार चितलवाना जिला जालोर
		14 मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा केरिया जरिये शाखा प्रबन्धक
		15 दी जालोर सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक शाखा सांचोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.1.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी चितलवाना) द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02 / 2014 सुरजन वगैरा बनाम तुलसाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 16.06. 2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा साथ ही रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट ने अपने वाद में कथन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया कि अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का गोदपुत्र है तथा गोदनामा पंजीकृत है। गोद लेने के पश्चात से अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास ही निवास करता है तथा सेवा सुश्रुषा करता है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट संख्या 1 का जन्म से अधिकार है। अपीलाण्ट संख्या 2 भी इनके सह खातेदार एवं संयुक्त कब्जाधारी के रूप में दर्ज रेकर्ड है। रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है, इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की अन्तरिम प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस कारण वादग्रस्त भूमि को लेकर मौके पर विवाद हो रहा है। बेचान के पश्चात क्रेतागण उक्त भूमि में अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करेंगे तथा अपनी सुविधा अनुसार कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस हेतु रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थगन पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार करावें एवं रेस्पोडेन्ट्स को वादस्थ आराजी के मौका एवं रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद विचाराधीन है तथा मूल वाद के संलग्न धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह भी अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हुआ है तथा उसमें तलबी हेतु पत्रावली नियत थी। अपीलाण्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का गोदीपुत्र नहीं है। जो गोदनामा निष्पादित हुआ है, उसको निरस्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सिविल न्यायालय में कार्यवाही की है, जो विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट्स उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। एक रेकर्डेड खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का विक्रय करने एवं हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई भी बिन्दु नहीं है, इस कारण धारा 212 पोषणीय ही नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने मूल वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन करने पर अपीलाण्ट अधिवक्ता एवं केवीयटकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्टेज पर अप्रार्थीगण को अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रकरण दर्ज करने एवं शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में पत्रावली तलबी में नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज नहीं है तथा अन्य अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। विधि अनुसार एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में **2006-07(supp.) RRT, Pg. No. 368 Dhanni V/s. Ramuram** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Revision – Scope – Temporary injunction refused- Order upheld in appeal – Petitioner failed to prove prima facie case, balance of convenience & irreparable loss – Rights & title will be decided in regular suit – Possession not proved – Scope of revision is very limited – Re-appreciation of facts in not. Justified-Held, Revision deserves to be dismissed.(Para's 9,10). **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Applications dismissed – Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted – Concurrent finding – Limited scope – Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट्स भी ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किऐ है, जो प्रकरण को असामान्य प्रकृति का प्रकट करते हो, जिनके अनुसरण में अपीलाण्ट किसी प्रकार की सहायता प्राप्ति का अधिकारी हो। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी चितलवाना) द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2014 सुरजन वगैरा बनाम तुलसाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2014 कौ यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी चितलवाना का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली